आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना

संक्षिप्त विवरण

वर्तमान में आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति यमुना नदी से प्राप्त कच्चे जल (Raw Water) पर आधारित है। यमुना नदी का जल अत्याधिक प्रदूषित है तथा इसका शोधन परम्परागत सामान्य पद्धति से किया जाना अत्यन्त कठिन है। यमुना जल की गुणता के दृष्टिगत आगरा शहर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) योजना की कन्सेपचुअल पी.एफ.आर. अनुमानित लागत रू0 1179.72 करोड़ वर्ष 2006 में विरचित की गई थी। उ0 प्र0 शासन की व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 9.7.2007 में परियोजना की प्रस्तावित लागत रू0 1179.72 करोड़ के सापेक्ष 1076.98 करोड़ लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का वित्त पोषण जापान इण्टरनेशनल को–ओपरेशन एजेन्सी (जायका) द्वारा किया जा रहा है। योजना की लागत की 85% धनराशि जायका द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी तथा शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। प्रोजैक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटैन्सी (पी.एम.सी.) की नियुक्ति के उपरान्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत डिजाइन हेतु सर्वे, स्थलीय अन्वेषण एवं टैस्टिंग के कार्य कराये गये। तदोपरान्त उसके आधार पर मदवार विस्तृत डिजाइन कर विस्तृत आगणन वर्ष 2010–11 की दरों पर तैयार किया गया है। योजना का विस्तृत प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 2888.88 करोड़, प्रदेश की व्यय वित्त समिति द्वारा दि0 24.12.2010 को सम्पन्न बैठक में रू0 2887.92 करोड़ के लिये अनुमोदित किया गया। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बढ़ी हुई लागत के अनुसार अतिरिक्त धनराशि हेतु जायका के साथ ऋण अनुबन्ध 31.03.2014 को हस्ताक्षरित किया गया था।

योजना में अंगीकृत प्राविधानों के अनुसार अपर गंगा नहर के पालड़ा (जनपद–बुलन्दशहर) हैड वर्क्स से 150 क्यूसेक कच्चा जल प्राप्त किया जाना, हैड रेगुलेटर का निर्माण, 370 एम.एल.डी. सैडीमेंटेशन टैंक का निर्माण कार्य, 150 क्यूसेक जल में से 140 क्यूसेक (लगभग 350 एम.एल.डी.) आगरा एवं 10 क्यूसेक (लगभग 25 एम.एल.डी.) मथुरा स्थित जल शोधन संयंत्रों तक लाये जाने हेतु 160 किमी. एम.एस. पाईप लाइन (800 से 2800 एम.एम. व्यास) बिछाया जाना, यमुना नदी पर कैलाश मन्दिर के निकट सेतु का निर्माण, 144 एम.एल.डी. क्षमता के अत्याधुनिक एवं उच्च तकनीक (एम.बी.बी. आर.) पर आधारित जल संशोधन संयंत्र का निर्माण, जीवनी मण्डी तथा सिकन्दरा स्थित जल शोधन संयंत्र, क्षमता क्रमशः 225 एम.एल.डी. तथा 144 एम.एल.डी. का जीर्णोद्धार आदि कार्यों के अतिरिक्त वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण घटक के अन्तर्गत उपलब्धि आधारित निर्माण एवं संधारण (पी.सी.एम.) के कार्य सम्मिलित हैं।

योजना की अध्यावधिक स्थितिः

1. **हैड रेगूलेटर** :– अपर गंगा कैनाल से 150 क्यूसेक पानी लेने हेतु हैड रेगूलेटर का निर्माण किया जा चुका है।

2. **प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटैन्ट (पी.एम.सी.) :–** योजना हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटैन्ट (पी. एम.सी.) मार्च, 2009 से कार्यरत है।

3. **144 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र सिकन्दरा :–** जल शोधन संयंत्र की क्षमता वर्धन तथा यमुना नदी के प्रदूषित जल को दृष्टिगत रखते हुए योजना में प्रस्तावित अत्याधुनिक शोधन तकनीक पर आधारित 144 एम.एल.डी. क्षमता का एक अतिरिक्त जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

चुका है। इस संयंत्र के द्वारा यमुना नदी के जल को निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर पेयजल आपूर्ति जुलाई 2014 से प्रारम्भ है।

4. **इन्टेक कार्य (सैटलिंग टैंक) :–** गंगा जल में उपस्थित सिल्ट का कन्ड्यूट पाइप में प्रवेश रोकने के लिए सिल्ट पृथकीकरण हेतु 370 एम.एल.डी. क्षमता के सैटलिंग टैंक का निर्माण किया जा चुका है।

5. **कन्ड्यूट पाइप :–** अपर गंगा नहर के पालड़ा फॉल (जनपद बुलन्दशहर) के निकट निर्मित 370 एम.एल.डी. क्षमता के सैटलिंग टैंक से आगरा तक 130 किमी. लम्बाई में कण्ड्यूट पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत 2100 मिमी0 व्यास की 98 किमी0 लम्बी Twin Pipe एवं 2800 मिमी0 व्यास की 32.50 किमी0 लम्बी पाइप लाइन बिछायी जानी प्रस्तावित है। अध्यावधिक रूप से 130 किमी. के सापेक्ष 127.20 किमी. लम्बाई में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष लम्बाई में पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

6. **आगरा एवं मथुरा स्थित जल शोधन संयंत्रों हेतु फीडर मेन्स :– पालड़ा फॉल से आगरा तक (130 किमी. लम्बाई में) कण्ड्यूट/फीडर पाइप लाइन कार्य के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा के निकट यमुना नदी पर निर्मित सेतु से सिकन्दरा एवं जीवनी मण्डी स्थित जल शोधन संयंत्रों तक 1600 एम.एम. व्यास की 18.50 किमी. लम्बाई में एम.एस. फीडर मेन पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य प्रगति में है। अध्यावधिक रूप से 18.50 किमी. के सापेक्ष 14.60 किमी. लम्बाई में पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है तथा शेष लम्बाई में पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।**

सिकन्दरा स्थित जल शोधन संयंत्र तक बिछायी जाने वाली 1600 मिमी. व्यास की कुल 1.90 किमी. पाइप लाइन कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा के निकट यमुना नदी पर निर्मित सेतु से प्रारम्भ होकर आरक्षित वन क्षेत्र (बाईपुर वन रेन्ज) में लगभग 1.30 किमी. लम्बाई में बिछायी जानी प्रस्तावित है।

जीवनी मण्डी स्थित जल शोधन संयंत्र तक बिछायी जाने वाली 1600 मिमी. व्यास की पाइप लाइन यमुना नदी पर निर्मित सेतु से प्रारम्भ होकर बाईपुर, बाबरपुर एवं मऊ वन रेन्ज से होते हुये कार्यालय वन संरक्षक के समीप केन्द्रीय हिन्दी संस्थान रोड तक आरक्षित वन क्षेत्र में तथा तत्पश्चात् 100 फुटा रोड–दयाल बाग, सत्संग सभा क्षेत्र–दयाल बाग, मुगल रोड एवं कमला नगर से होते हुये जीवनी मण्डी जलकल परिसर तक कुल 16.60 किमी. लम्बाई में बिछायी जानी प्रस्तावित है। आरक्षित वन क्षेत्र में बिछायी जाने वाली पाइप लाइन की लम्बाई लगभग 7.35 किमी. है।

7. **सेतु निर्माण :–** योजनान्तर्गत प्रस्तावित 1600 मिमी. व्यास फीडर मेन हेतु निर्धारित एलाइनमेन्ट में आ रही यमुना नदी को क्रॉस करने हेतु कैलाश मन्दिर के निकट सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

8. **योजना के अन्य पैकेजः–**

   1. **जीवनी मण्डी स्थित 225 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का जीर्णोद्धार :–** संयंत्र के जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य प्रगति पर (30% कार्य पूर्ण)।
   2. **सिकन्दरा स्थित वर्तमान 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का जीर्णोद्धार :–** संयंत्र के जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य प्रगति पर (70% कार्य पूर्ण)।

8.3.18

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा

3. **नये सी.डब्ल्यू.आर. का निर्माण :–** शाहगंज (द्वितीय) जोनल भूमिगत जलाशय/पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर (70% कार्य पूर्ण) है एवं नौलक्खा जोनल भूमिगत जलाशय/पम्प हाउस का डिजाइन कार्य प्रगति पर (15% कार्य पूर्ण)।

4. **वितरण प्रणाली जीर्णोद्धार कार्य (Performance Based Construction & Maintenance Contract) (पैकेज सं0 12ए):–** आगरा शहर के चयनित पाँच पायलट जोन में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य करते हुये (लीकेजों को कम करते हुए) UFW (Unaccounted for Water) & NRW (Non Revenue Water) कम करने का कार्य इस पैकेज में प्रस्तावित है। शहर के 1 पायलट जोन हेतु प्राप्त निविदाओं की निविदित लागत अधिक होने के कारण निविदाऐं निरस्त की गयी हैं। इस कार्य हेतु निविदाऐं पुनः आमंत्रित की जा रही हैं।

5. **राइजिंग मेन (पैकेज सं0 12बी):–** रकाबगंज एवं छत्ता जोन हेतु यमुना के किनारे पूर्व में बिछायी गयी राइजिंग मेन को बदलने का कार्य एन.जी.टी./सिचाई विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रारम्भ किया जायेगा।

योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य जुलाई, 2018 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है।

8.3.18

(आर0 के0 पंकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ0प्र0 जल निगम, आगरा